

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बजरंग सामाजिक बनाम सुरेश कुमार

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

तारीख हुकम

523  
2025

10/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 11/05/2026 को पेश हो।

11/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/05/2026 को पेश हो।


15/05/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06/11/2023 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना विचाराधीन प्रकरण में सुनिश्चित नहीं की गयी है | ऐसी स्थिति में डिले कन्डोन करवाने हेतु अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य प्रतीत होते हैं | अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा -5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है | इसके अतिरिक्त दौराने बहस उद्धरित तथ्यों से यह जाहिर हुआ है कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण से 90ए की कार्यवाही होकर विवादग्रस्त भूमि आवासीय में परिवर्तित हो चुकी है | अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश को निरस्त कर दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा जाता है |

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06/11/2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	बजरंग सामाजिक बनाम सुरेश कुमार हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>523 2025</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर जाहिर तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत आदेश पुनः पारित करे   तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है  </p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो  </p> <p>निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p> <p></p>	